सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 571/प्रेसनोट/2020 **दिसम्बर - 31 दिसंबर 2020**

प्रेस-विज्ञप्ति

<u>बिलरियागंज</u>

दुष्कर्म कर वीडियो वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 30.12.2020 को वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी पुत्री को दिनांक 8-5-2020 को करीब 12 बजे दिन मे गाँव के हरिलाल पुत्र भृगु घर मे अकेला पाकर कट्टा लगाकर खेत मे ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका विडीयो भी बना लिया और लड़की को धमकी दिया कि अगर किसी से घटना के बारे मे बताओगी तो तुम्हारे भाई को जान से मार दूँगा और यह विडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा। इसी भय के नाते लड़की ने किसी से कुछ बताया नही अब तक चुप रही है। लेकिन 15- 20 दिन पूर्व अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म का विडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 217/2020 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67क आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण तथा वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी तथा अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 31.12.2020 थानाध्यक्ष बिलरियागंज श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराहीयान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 217/2020 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67क आई0टी0 एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त हरिलाल पुत्र भृगु निवासी ग्राम जगजीवनपुर थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ को गोरिया बाजार पर से समय 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u>

मु0अ0सं0 217/2020 धारा 376/506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 67क आई0टी0 एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

हरिलाल पुत्र भृगु सा0 जगजीवनपुर, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम</u>

थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।